Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 38 /2017 – State Tax (Rate)

No. F-10- 81/2017/CT/V (141). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the Chhattisgarh Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification No.8/2017- State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V (76) dated the 28th June, 2017, of the Government of Chhattisgarh, in the Department of Commercial Tax, published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, vide number 252 dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, the proviso under Paragraph 1 shall be omitted.

2. The exemption contained in the notification No. 8/2017-State Tax (Rate) dated the 28th June, 2017 as amended by this notification shall apply to all registered persons till the 31st day of March, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना
क्रमांक 38/2017 –राज्य कर

क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (142). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 32/2017–राज्य कर, कमांक एफ–10–73/2017/वाक/पांच (123) दिनांक 15 सितम्बर, 2017 जो छत्तीसगढ़ के राजपत्र असाधारण कमांक 420 दिनांक 22 सितम्बर,2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना की सारणी में –

(i) कम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद, हाथ से बनी शालें, स्टोल और स्कार्फ)	50, 58, 61, 62, 63 सहित";

(ii) कम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"29	श्रृंखला टांका	कोई अध्याय
30	किवेल, नामदा, गाबा	कोई अध्याय
31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

2. इस अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सं. 8/2017–केन्द्रीय कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (142). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (142), दिनांक 13–10–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 38 /2017 – State Tax

No. F-10- 81/2017/CT/V (142). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 32/2017-State Tax, No. F-10-73/2017/CT/V (123) dated the 15th September, 2017, of the Government of Chhattisgarh, in the Department of Commercial Tax, published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, vide number 420 dated the 22nd September, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table –

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"9	Textile (handloom products), Handmade shawls, stoles and scarves	Including 50, 58, 61, 62, 63";

(ii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"29	Chain stitch	Any chapter
30	Crewel, namda, gabba	Any chapter
31	Wicker willow products	Any chapter
32	Toran	Any chapter
33	Articles made of shola	Any chapter".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक 39/2017 –राज्य कर

क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (143). —— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) (जिसे अधिसूचना में इसके पश्चात् "छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम" कहा किया गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात "सीजीएसटी अधिनियम" कहा गया है, के अधीन नियुक्त अधिकारी, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजनों के लिए बोर्ड के आयुक्त द्वारा समुचित अधिकारियों के रूप में प्राधिकृत हैं, जिन्हें इस अधिसूचना के पश्चात् "उक्त अधिकारी" कहा गया है) छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन, उक्त अधिकारियो की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति